IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में ई–संविदाओं का भविष्य एवं चुनौतियां

ओमेन्द्र सिंह[1]

डॉ विनोद कुमार[2]

डॉ विनोद शंकर त्रिपाठी[3]

[1]रिसर्च स्कॉलर

[2]असिसटेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुड़ेला, झुंझुनूं, राजस्थान

[3]प्रोफेसर, विधि विभाग, ब्रह्मानंद कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश

सारांश

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 वह अधिनियम है जो भारत में संविदाओं के बारे में मूल कानून है। यह संविदा विधि को विनियमित करने वाला मुख्य अधिनियम है। विधि द्वारा लागू करने योग्य समझौते को संविदा कहा जाता है। उपभोक्ता और व्यवसायकर्ता के लिये ई–कॉमर्स से संबंधित सेवाओं के लिए ई–संविदा किसी भी सफल संविदा का मसौदा तैयार करने और बातचीत करने में सहायता करता है। अधिनियम में संविदाओं के बारे में अनेक प्रावधान हैं, जिन्हें संविदा शर्तों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक बताया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य ई–व्यवसायों के भीतर वाणिज्यिक संविदाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने में लोगों की सहायता करना है। इसमें उत्पादों की बिक्री और उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए मॉडल संविदा शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत में ई–संविदाओं और साइबर अपराध से संबंधित विधियों से संबंधित है। यह ऑनलाइन हाने वाले वाणिज्यिक लेनदेन को संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 ए ई–संविदाओं की वैधता से संबंधित है, इस पेपर के माध्यम से, शोधकर्ता का उद्देश्य ई–संविदाओं के इतिहास, ई– संविदाओं के फायदे और भारत में ई–संविदाओं के भविष्य का अध्ययन करना है। शोध के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति सैद्धांतिक विधि है।

कीवर्ड : ई–संविदा, ई–संविदाओं का भविष्य, सूचना प्रौद्योगिकी, विधियॉ, भारत।

1. प्रस्तावना

दुनिया में तकनीकी प्रगति ने व्यापार और वाणिज्य में भारी बदलाव किए हैं। व्यवसाय की अब कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं बची है। इसके अलावा, संविदा में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। ई–संविदा सामान्य संविदाओं के समान हैं, लेकिन अंतर केवल उस माध्यम का है जिसके माध्यम से संविदाऐं बनाइ जाती हैं। संविदा जो ई–कॉमर्स के माध्यम से होती है, आमतौर पर पक्षकारों को एक–दूसरे से मिलने के बिना की जाती हैं। वे कागज आधारित न हो कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई होती हैं। ये संविदा पक्षकारों की सुविधा के लिए की जाती हैं और इन संविदाओं के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर स्वरूप में आते हैं। यह ऑनलाइन होने वाले वाणिज्यिक लेनदेन को संदर्भित करता है। यह शारीरिक रूप से शामिल हुए बिना विशेष रूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संविदा में प्रवेश करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एक अधिनियम है जो भारत में ई–संविदा करने और साइबर अपराध से संबंधित है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 ए ई संविदाओं की वैधता से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 ए ई–संविदाओं की वैधता को परिभाषित करती हैः 'एक संविदा निर्माण में, जब प्रस्तावों का संचार, प्रस्तावों की स्वीकृति, प्रस्तावों का निरसन और स्वीकृति, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो ऐसी संविदा को केवल इस आधार पर अप्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा कि इस उद्देश्य के लिए इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रूप या माध्यम का उपयोग किया गया था। ई संविदा तीन प्रकार की होती हैं:

1. **ब्राउज रैप संविदाऐं:** वह संविदा जो किसी वेबसाइट का उपयोग करते समय सेवाप्रदाता द्वारा पक्षकारों पर बाध्यकारी है। इसमें गोपनीयता नीतियां और वेबसाइटों की सेवा की शर्तें शामिल हैं जिन्हें उपयोगकर्ता को मानना होता है।
2. **श्रिंक रैप संविदाऐं:** वे संविदाऐं जिसके माध्यम से संविदा के नियम और शर्तें उत्पाद के साथ मैनुअल पर मौजूद होती हैं जो कि खरीदार पक्ष पर लगाई जाती हैं, इन संविदाओं को उपभोक्ता द्वारा उत्पाद खोलने के बाद ही स्वीकार किया जा सकता है।
3. **क्लिक रैप संविदाऐं:** इन संविदाओं में आमतौर पर पक्षकार को 'स्वीकार करें' या 'अस्वीकृति' पर क्लिक करके नियम और शर्तों पर अपनी सहमति देने की आवश्यकता होती है। ये संविदा किसी सॉफ्टवेयर को काम में लेने की प्रक्रिया में की जाती हैं। अस्वीकार करने या ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प चुनना इस प्रकार के समझौतों का एक उदाहरण माना जा सकता है।

शोध प्रश्न

1. भारत में ई–संविदाओं की अवधारणा को पहली बार कब मान्यता दी गई थी?
2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत ई–संविदाओं की अवधारणा को मान्यता कब मिली?
3. वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा संविदा करने के क्या फायदे हैं?
4. भारत में ई–संविद्ाओं का दायरा क्या है? उन्हें आदर्श बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड सकता है?

शोध के उद्देश्य

1. उस अवधि का अनुमान लगाना जब से भारत में ई–संविदाओं की अवधारणा मौजूद है।
2. यह समझने के लिए कि ई–संविदाओं की अवधारणा को कब मान्यता मिली और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इसके बारे में एक अलग प्रावधान कब पेश किया गया था।
3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संविदा करने के फायदों को जानना विशेष रूप से आज के समय में।
4. भारत में ई–संविदाओं के भविष्य और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना।

2. साहित्य समीक्षा

शोधकर्ता ने इस शोध को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न पुस्तकों, लेखों और पत्रिकाओं का उल्लेख किया है:–

1. **निखिल नायर (2021),** ने अपने लेख "ई–संविदा" में ई–संविद्ाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 ए और ई संविदाओं की मान्यता की व्याख्या की है। इसके अलावा, लेखक ने डिजिटल हस्ताक्षर के महत्व पर चर्चा की है। इनके लेख को पढकर कोई भी इस बात का पूरा अंदाजा लगा सकता है कि वास्तव में ई संविदा क्या है और अदालत में इसकी स्वीकार्यता क्या है। केस विधियों का उपयोग लेख को अधिक प्रभावी बनाता है। हालांकि, लेखक भारत में ई–संविदाओं के भविष्य के बारे में नहीं लिखते हैं। लेखक ने अपने अध्ययन को भारत में ई संविदाओं की मान्यता, इसके पक्षकारों और अदालत में उसी की स्वीकार्यता तक सीमित कर दिया था। शोधकर्ता ने भारतीय विधि में ई–संविदाओं की मान्यता का एक संक्षिप्त विचार प्राप्त करने के लिए इस लेख का उल्लेख किया है।
2. **भारतीय विधि आयोग (2021),** ई–संविदा और भारत में ई–संविदा के प्रकार, निष्पादन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के महत्व और भारत में ई–संविदाओं की वैधता की व्याख्या करता है। केस–लॉ का उपयोग और एक वैध संविदा की अनिवार्यता ओं की गहन व्याख्या लेख को अधिक प्रभावी और समझने में आसान बनाती है। लेखक ने ई संविदाओं के भविष्य और उन चुनौतियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है जिनका सामना ई–संविदाओं को एक नया मानदंड बनाने के लिए किया जा सकता है
3. **मूनमून नंदा और पलाश तायंग (2021)**, के इलेक्ट्रॉनिक संविदा पर लेख 'एक सम्भावनाः न्यू नॉर्मल', है जो भविष्य में ई–संविदाओं के दायरे पर चर्चा करता है और भविष्य में ई–संविदाओं का प्रचलन बढ़ने की संभावना भी है। लेख ई संविदाओं की वैधता पर चर्चा करता है, जो कानून इस पर लागू होते हैं और ई–हस्ताक्षर एक सबूत के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। इस लेख को पढकर कोई भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि ई–संविदा किस हद तक लागू होती हैं और प्रचलित समय में नए सामान्य बनने की संभावना है। लेख में ई–संविदाओं के दायरे का उल्लेख किया गया है, हालांकि इसमें उन चुनौतियों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनका सामना किया जा सकता है। शोधकर्ता ने भविष्य में ई–संविदाओं के दायरे के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए इस लेख का उल्लेख किया है।
4. **पुनीत गुप्ता और अमित वाधवा (2021),** के एक लेख में ई–संविदाओं के महत्व और आवश्यकता का वर्णन किया गया है। इस बात पर जोर देते हुए कि कैसे कोविड–19 महामारी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संविदा करने में वृद्धि की है, लेखकों ने ई–स्टैम्प की आवश्यकता का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। केस–लॉ का उपयोग करके लेख को प्रभावी बनाने के अलावा, लेखकों ने ई संविदा बनाने के फायदे भी बताए हैं। लेख में भारत के विशिष्ट संदर्भ में ई संविदाओं के दायरे के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। शोधकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 ए के बारे में जानने के लिए इस लेख का हवाला दिया है।

3. अनुसंधान पद्धति

दो प्रकार की शोध पद्धतियाँ हैं सिद्धांत विधि और गैर–सैद्धांतिक विधि। गैर सैद्धांतिक विधि को सामाजिक कानूनी शोध के रूप में भी जाना जाता है, वह विधि जिसमें डेटा एकत्र किया जाता है या अन्य विषयों से अनुसंधान विधियों को नियोजित किया जाता है। सैद्धांतिक विधि को विशिष्ट कानूनी अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। सैद्धांतिक शोध पारंपरिक कानूनी संसाधनों पर केंद्रित होते है। उदाहरण के लिएः वाद विधि। यह शोध सैद्धांतिक विधि द्वारा किया गया है।

इस पद्धति को शोध की पारंपरिक विधि भी कहा जाता है। इसमें केस लॉ का विश्लेषण, विधिक प्रस्तावों की व्यवस्था, आदेश और व्यवस्थित करना और विधिक संस्थानों का अध्ययन शामिल है। कुछ विशेषताएं और फायदे हैं जिन पर विचार करते हुए इस शोध पद्धति को अपनाया गया है। निम्नलिखित विशेषताएं और फायदे हैंः–

1. सीमित समय अवधि के भीतर, शोधकर्ताओं को विभिन्न समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
2. यह विधि प्रकृति में लचीली है और इस प्रकार इसे काम करने योग्य बनाने के लिए आसान बनाता है।
3. इस प्रकार के शोध को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माना जाता है।

अनुसंधान पद्धति के फायदों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने शोध की सैद्धांतिक विधि को चुना है।

4. ई–संविदाओं का इतिहास

ई–संविदाओं की अवधारणा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा मान्यता दी गई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान ई–संविदाओं को प्रवर्तनीय बनाते हैं। ई–संविदाओं के भविष्य में सामान्य होने की संभावना है। लेकिन, भविष्य में ई संविदाओं के दायरे को जानने से पहले, इन संविदाओं को कानूनी मान्यता कैसे मिली, इसका एक संक्षिप्त इतिहास जानना महत्वपूर्ण है। इससे पहले, ई कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने तक सीमित था। डिजिटल प्रगति के साथ नेटवर्क ने ई कॉमर्स की वृद्धि में सहायता की है। 1960 के दशक में व्यवसायों ने लेनदेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उपयोग किया। अधिकांश व्यवसायों ने 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत के बाद वेबसाइटों के माध्यम से सेवाओं की पेशकश शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, ई–बे और अमेजॉन जैसी कंपनियां। भारत में ई–कॉमर्स की अवधारणा 1990 के दशक के अंत में पेश की गई थी। इसे रेडिफ जो कि एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कम्पनी है के माध्यम से पेश किया गया था। ई–कॉमर्स पोर्टल बनाने वाली पहली कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी। भारत ने तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 लागू किया। यह ई–कॉमर्स लेनदेन को वैध बनाने और प्रौद्योगिकी में विकास के साथ तालमेल रखने के लिए भी किया गया था।

ई–संविदा के पक्षकार

एक ई–संविदा के लिए दो पक्षकार होते हैंः–

1. **प्रवर्तकः** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार एक प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाने, उत्पन्न, संग्रहीत या प्रेषित किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को उत्पन्न, प्रेषित, संग्रहीत या प्रसारित करता है। इसमें आमतौर पर कोई मध्यस्थ शामिल नहीं होता है।
2. **प्रेषितीः** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार एक प्रेषिती वह व्यक्ति है जो प्रवर्तक या एक व्यक्ति द्वारा अभिप्रेत है जिसे संविदा को भेजा गया है।

एक ई संविदा में पक्षकार आवश्यक रूप से नहीं मिलते हैं। यह मुख्य लाभ है, खासकर इन समयों के दौरान ये संविदा सबसे उपयुक्त हैं।

ई–संविदाओं के फायदे

ई–संविदाओं को करने के निम्नलिखित फायदे हैंः

1. लागू करने में आसानी :– दस्तावेजों का ऑनलाइन आकलन करने की प्रक्रिया तेज है। यह कर्मचारियों के साथ–साथ ग्राहकों के लिए भी बडी मात्रा में समय बचाता है। ऐसे मामलों में बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है।
2. ई–संविदा तेजी से व्यवसाय सुनिश्चित करती हैंः– कूरियर द्वारा दस्तावेजों को भेजने और दूसरे पक्ष को प्राप्त करने और उन पर हस्ताक्षर करने की प्रतीक्षा करने की तुलना में कोई समझौता करने के लिये ई संविदा एक तेज तरीका है। इसके अलावा, पारंपरिक दस्तावेजों के मामले में एक संभावना है कि दोनों पक्ष त्रुटियों का परिचय दे सकते हैं। इससे कानूनी विवाद पैदा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक संविदा उसी से बचती हैं।
3. इलेक्ट्रॉनिक संविदा कागज आधारित संविदाओं की तुलना में अधिक सुरक्षित हैंः– पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय कागजी दस्तावेजों में हेरफेर किया जा सकता है। जहां ई–संविदाओं के हस्ताक्षरकर्ताओं की दस्तावेजों के साथ छेडछाड करने की संभावना को समाप्त कर देता है।
4. कई अन्य फायदे हैं जैसे कि ई–संविदा ग्राहक सेवा में सुधार करती हैं, वे छपाई से संबंधित त्रुटियों को समाप्त करती हैं, वे संविदा कानून और नियमों का पालन करते हैं, निगरानी और ट्रैक करना आसान है, और वे परिचालन लागत को कम करते हैं।

इस तरह के संविदाओं के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि पक्षकार मिलें। इसलिए वर्तमान समय और ई–संविदाओं के फायदों को ध्यान में रखते हुए, वे भारत में सामान्तया प्रचलित होने के रास्ते पर हैं।

5. भारत में ई–संविदाओं का भविष्य और इसके सामने आने वाले मुद्दे

वर्तमान समय में ई–संविदा भारत में अधिक स्वीकृति प्राप्त कर रही हैं। वे एक व्यवसाय को जारी रखने के लिए आवश्यक हो गई हैं और इसके फायदे के कारण संविदा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका माना जाता है। इसने डेटा का रिकॉर्ड रखना पहले की तुलना में बहुत आसान बना दिया है। धारा 10क के तहत सरकार ने ई–संविदाओं को वैध घोषित किया है। हालांकि ई–संविदाऐं स्वीकृति प्राप्त कर रही हैं, लेकिन ई–संविदाओं को एक आदर्श बनने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पडेगा।

इसके लिये निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड सकता हैः– उपयोगकर्ता नियम और शर्तों पर बातचीत नहीं कर सकता है। ऑनलाइन वेबसाइटों में दिए गए समझौतों के मामले में एक उपयोगकर्ता को सभी नियमों और शर्तों से सहमत होना पडता है, जो संविदाओं को एकतरफा बनाता है। ई–संविदा का प्रशासन विभिन्न भौगोलिक स्थानों के अंतर्गत आ सकता है। यदि उपयोगकर्ता को किसी भी समस्या का सामना करना पडता है तो उसे उस स्थान पर मुकदमा दायर करना होगा जहां लेनदेन हुआ था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है।

इसलिए, अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी जाएगी। मुख्य लाभ यह है कि पक्षकारों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संविदा बनाने के लिए शारीरिक रूप से मिलने की आवश्यकता नहीं है। भारत को तकनीकी प्रगति के साथ आने वाली नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

ई–संविदाओं के भविष्य की भविष्यवाणी करना कठिन है। ऐसे कई खंड हैं जो भविष्य में विकसित होंगे जैसेः यात्रा और पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हार्डवेयर उत्पाद और परिधान। कुछ आवश्यक कारक भी हैं जो भारत में ई–संविदाओं पर आधारित ई–कॉमर्स उद्योग के उछाल में महत्वपूर्ण योगदान देंगे जैसे प्रतिस्थापन गारंटी, एम–कॉमर्स सेवाएं, स्थान आधारित सेवाएं, एकाधिक भुगतान विकल्प, सही सामग्री, शिपमेंट विकल्प, ऑनलाइन लेनदेन के लिए चालान बनाने की कानूनी आवश्यकता , त्वरित सेवा, नियम और शर्तें स्पष्ट और यथार्थवादी होनी चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता वही होनी चाहिए जो पोर्टल पर दिखाई गई है, समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र होना चाहिए जो हमेशा उपभोगता के लिये उपलब्ध रहे। हमें खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओंधवितरकों, उत्पादकों और लोगों के लिए भी विभिन्न प्रकार के अवसर मिले। खुदरा विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर पूरा करते हैं और उन्हें हर समय उपभोक्ताओं के संपर्क में रहना चाहिए। थोक विक्रेता ईकॉमर्स का लाभ उठा सकते हैं जो प्रतिष्ठित उत्पादकों के साथ ठेकेदार स्थापित करने और अपने व्यवसाय को ऑनलाइन से जोडने में सक्षम हैं। निर्माता अपने उत्पादों के बारे में व्यवसाय श्रृंखला की अन्य कडियों को बेहतर जानकारी देकर और एक ब्रांड पहचान बनाकर खुद को ऑनलाइन भी जोड सकते हैं। जैसे–जैसे अधिक लोग ई–कॉमर्स से जुड रहे हैं, इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाले केंद्र या साइबर कैफे की मांग भी बढ रही है। इसलिए, जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वे साइबर स्थापित कर सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। लोगों को रोजगार के विभिन्न अवसर मिल सके। उपरोक्त रिपोर्टों और विशेषज्ञों की राय से पता चलता है कि आने वाले वर्षों में भारत में ई–संविदाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा यदि सभी आवश्यक कारकों को लागू किया जाएगा।

6. निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता हैं कि ई–संविदाओं का भारत में प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जिसका उन्हें तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप सामना करना पड सकता है। भारत को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ई–संविदाओं को नए मानदंड के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान समय में, एवं पिछले दो–तीन वर्षों की COVID-19 जैसी महामारी के कारण, ई संविदा किसी भी संविदा में प्रवेश करने का सबसे उपयुक्त तरीका प्रतीत होता है। फायदे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ई संविदा हर व्यवसाय को जारी रखने के लिए आवश्यक है और यह बिना किसी हेरफेर के डेटा की ट्रैकिंग को आसान बनाता है। शोधकर्ता यह सुझाव देना चाहता हैं कि धोखाधडी को रोकने के लिए ई–संविदाओं का बेहतर और सख्त विनियमन होना चाहिए। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट विधि बनाए जाने चाहिए। ई–संविदाऐं जल्द ही करार करने का एक सामान्य माध्यम बन जायेंगी और सभी व्यवसाय और आम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संविदा करना शुरू कर देंगे, बशर्ते इन्हें कुछ विधिक सुधारों के साथ किया जाए।

संदर्भ सुची :

1. **अर्चना बालासुब्रमण्यम, अगामा लॉ एसोसिएट्स (2021)**, "भारत में ई–अनुबंध", मोंडाक्यू में प्रकाशित, https://agamalaw.in/2015/06/03/econtracts-in-india/
2. **जॉर्जिना परेरा (2021),** "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, कानूनी बातें," https://www.legalbites.in/information-technology-act-important-definitions/
3. **निखिल नायर (2021),** "ई–कॉन्ट्रैक्ट्स", इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन, https://www.indianbarassociation.org/e-contracts/

4. **इंडिया लॉ ऑफिस एलएलपी (2021),** "ई कॉन्ट्रैक्ट्स और भारत में इसकी वैधता", https://www.indialawoffices.com/legal-articles/e-contracts-and-validity-india
5. **मूनमुन नंदा और पलाश ताइंग (2021),** "इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध – संभावित 'न्यूनॉर्मल'", https://www.mondaq.com/india/contracts-and-commercial-law/971932/electronic-contractsthe-likely-new-normal39
6. **पुनीत गुप्ता और अमित वाधवा (2020),** " 'ई–हस्ताक्षर', इंडियन बिजनेस लॉ जर्नल, लॉ। एशिया https://law.asia/e-contracts-sign-times/
7. **टी. पद्मा और के. पी. सी. राव (2011),** "लीगल रिसर्च मेथडोलॉजी", प्रथम संस्करण एशिया लॉ हाउस, हैदराबाद, आईएसबीएनः 9789386416797
8. **जयमाला चाहंडे (2020),** "ई–अनुबंध पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययनः इसकी कानूनी वैधता और अधिकार क्षेत्र", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, वॉल्यूम –3, अंक –6, पृष्ठ संख्या 1–12, आईएसएसएनः 2581–5369।
9. ट्राइमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई लिमिटेड, दुबई बनाम वेंडेटा एल्यूमीनियम लिमिटेड, भारत, 2010 (1) स्केल 574
10. रुडर बनाम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ख1999, ओजे नंबर 3778 (सूप सीटी जे)।
11. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
13. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000